राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांक:–एफ.20(1)श्रम/एलडीएमएस/2015/2702 जयपुर, दिनांक: 03-02-2016

कार्यालय आदेश

विभिन्न श्रम कानूनों के तहत पंजीकरण, नवीनीकरण एवं लाईसेंस की ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने, विभाग की दक्षता में सुधार तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीकृत ऑनलाइन सोफ्टवेयर "लेबर डिपार्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (LDMS)" तैयार किया जाकर दिनांक 13.03.2015 से Go-Live किया जा चुका है। तब से विभिन्न श्रम कानूनों के तहत 3000 से अधिक ऑनलाइन आवेदन LDMS पर प्राप्त हो चुके है तथा विभाग के अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा तत्परता से इनका निस्तारण भी किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा LDMS को "सिंगल साइन ऑन (SSO)" से भी जोड़ दिया गया है तथा अब विभिन्न विभागों द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों के निस्तारणों की समीक्षा राज्य सरकार के उच्चतम स्तर पर की जाती है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 01.10.2015 एवं दिनांक 13.01.2016 को इस कार्य की समीक्षा की गई है तथा श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग बढ़ाने के सम्बन्ध में निर्देश प्रदान किये गये है। श्रम विभाग के अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा इस सम्बन्ध में अभी तक अच्छा कार्य सम्पादित किया गया है लेकिन इसमें अभी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है।

समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि कुछ कार्यालयों में LDMS ऑनलाईन पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की संख्या बहुत कम है। इसी प्रकार दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम को छोड़कर अन्य अधिनियमों में पंजीकरण/नवीनीकरण अथवा लाइसेंस के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। LDMS ऑनलाइन पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करने से न केवल विभाग के कार्य में पारदर्शिता एवं कुशलता में वृद्धि होगी बल्कि इससें विभिन्न वर्ग के लाभान्वितों को बेहतर सेवा प्रदान करने में भी सहायता प्राप्त होगी।

अतः दिनांक 05.02.2016 के पश्चात् एनेक्चर–1 में वर्णित अधिनियमों में पंजीकरण/नवीनीकरण अथवा लाइसेंस जारी करने की मैन्युअल व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है अर्थात दिनांक 05.02.2016 से एनेक्चर–1 में वर्णित अधिनियमों में

पंजीकरण / नवीनीकरण अथवा लाइसेंस जारी करने की समस्त कार्यवाही ऑनलाइन सम्पन्न की जायेगी।

इन निर्देशों की कडाई से पालना की जावे।

(रजत कुमार मिश्र)
श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः—एफ.20(1)श्रम / एलडीएमएस / 2015 / 2703-50 जयपुर, दिनांकः 03/2/2016

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय श्रम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त श्रम आयुक्त।
4. समस्त संयुक्त / उप / सहायक श्रम आयुक्त।
5. समस्त श्रम कल्याण अधिकारी।
6. रक्षित पत्रावली।

(रजत कुमार मिश्र)
श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

Annexure - 1

LDMS पर उपलब्ध पंजीयन अधिनियम

1. बीडी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966
2. ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम–ठेकेदार 1970
3. ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम–प्रमुख नियोजक 1970
4. ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम– प्रमुख नियोजक 1970 (अस्थाई)
5. मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम 1961
6. केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शर्तें)अधिनियम 1979 (ठेकेदार)
7. केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शर्तें)अधिनियम 1979 (प्रमुख नियोजक)
8. राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958
9. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा–शर्तें विनियमन) अधिनियम 1996 के तहत प्रतिष्ठानों का पंजीकरण कार्य